FROM 111

फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

सुरेशचन्द्र   बनाम   आशा देवी वगैरा

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र 111–128 राज0ले0रे0 एक्ट मुकदमा नं0 70 सन् 2023

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र स्वामित्व बाबत् नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिससे जाहिर होता है कि पत्थर गढ़ी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 111–128 रा0ले0रे0 एक्ट स्वीकार किया है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्थरगढ़ी शुल्क 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्रावली निर्णित शुमार समझी जाकर नम्बर से कम की जावें। आदेश सुनाया गया। कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 79/2023 तारीख दायर 4/4/2023

सुरेशचन्द्र पुत्र कजोड़मल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.......................प्रार्थी

बनाम

आशा देवी पत्नि प्रकाशचन्द्र जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 186 पर अंकित आराजी संख्या 408/65 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **उक्त मौजा ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 186 पर अंकित आराजी संख्या 408/65 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या 70/2023 तारीख दायर 4/4/2023

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या 70 2023 पत्थरगढ़ी बाबत्।

सुरेशचन्द्र पुत्र कजोड़मल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

........................प्रार्थी

बनाम

आशा देवी पत्नि प्रकाशचन्द्र जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

.................विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 186 पर अंकित आराजी संख्या 408/65 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक कांस्या को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं एंव कमिशनर फीस 500/– रूप्ये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा । पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

Scanned with CamScanner